

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : १९/५०६०-भवन / जोन-२/२०१२-१३ दि. इ. २९/०६/२०१२


अमृतसिंह-पत्र

वह अनुगमि दूसरे नारे गिरोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की शारा 14 व
15 के अनुंगत दै जाती है, किन्तु अर्थ वह न सगड़न याहिए कि तास नुस्खे के सन्दर्भ में
जिस नर प्रस्तावित आवासीय भवन भालौदिय रखीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार
या किसी स्थानीय निकाय या इसका रथान्वय आधिकारी या लापित क्षमता का के
प्रलिपना अधिकारों पर किसी दब कोई असर पड़े। अर्थात् वह अनुगमि किसी के
प्रलिपता या स्थानीय के अधिकारों के दिर्घि कोई प्रभाव न रखेगी।


चौधरी श्री जीरोन्द्र नाथ सिंह पुड़ राधा चौधरी नैनिहाल सिंह स्थल प्लाट
नं०-११०६ मातवीय नगर, इलाहाबाद जॉन संख्या (२) के अन्तर्गत परिचार गे अलिरिक
निर्माण वीर अवस्थे हेतु दाखिल अतवीय भवन + महिल के प्रस्तावित गान एवं निरांश की
इन्हाँ दे दिया गया है तथा वीर अवस्थे के अधीन प्रदान की जाएँ है ।

1. द३प्र० ७८६ नियंत्रण एवं विकास अधिनियम १९७३ की धा.४ १५५ (१) के प्राथिनों के अनुसन्धान पूर्णता प्राप्ति १८ ब्राह्मा द्वारे के दर्शन ही उपयोग/अधिनोग किया जायेगा, जब तक नियंत्रण एवं विकास ८८ विधि २००६ में संविधाने—२०१४ तक ३१८ में नियंत्रण प्रक्रिया मुर्ख कर पूर्णता प्राप्ति—पत्र प्राप्ति प्रक्रिया आपस्यक है।
 2. द४ स्वीकृति वानरलैन (Provisional) स्वीकृति के लिए ८५ मे होनी: नियंत्रण पूर्ण होने के उपराज... रुग्नी अविश्यक, Mendelsohn's Clearances/H.O.C को शर्त पूर्ण रखने के पश्चात् नियंत्रण विदे जाने वाले 'पूर्ण' प्रभाण—पत्र ब्रज कर्त्ता ले जाव ही इस परिवार के वासियों उपयोग में लाया जा सकेगा।
 3. स्व.गिरि लग्बी नियंत्री भी विषय पर न गिरित स्वतः निररत समझा जायेगा।
 4. रथल वर ४X० कोट के ६५ ओर्ड लगाकर स्वीकृति स्थापनी दिवस अंतिम घरन होगा।
 5. रथल पर ता अद्व वृक्ष लगाने होने तथा ढूँढ़ो यो हरा—शश रखने वा दोषेत्य आदेत का छोड़ा।
 6. रथल के अधिनोग/उपदेश लीबूता प्ररक्षाना के अनुभाव भी अनुभव्य होंगा।
 7. नगर आयुक्त, नगर नियन्त्रण इलाजावाद ली अनुप्रिया दिनांक १२.०६.२०१२ में अंकित प्रतिवन्धों का अकरण यत्नन करना हो। जो भूर्धतः नियवत् है—
 - A. निर्णय के दौरान नगर नियन्त्रण ली विरी भी अपरद्यापत्त्व सुविद्या ली दर्दे क्षति होती है तो उसका भ्रम्मत रवं नियोग वरन रदायी दृश्य लक्ष्य जायेगा।
 - B. गवर्नेंट के अन्दर जल निकासी की जमुदित लावस्था करना अनिवार्य होगा। उसके अवस्थाना सुखेभा क्षतिग्रस्त न होने पर्ये। 8. रेलवाटर हर्डिंग क कार्ड प्रत्त बना ले अनुसार धूर्ण करने द्वापर्य पूर्ण जल विभाग से अनापास्त्र प्राप्त करना अवश्यक होगा।
 9. यदि आवेदक द्वासा कांड्ह गहत्वपूर्ण रूपभा ऐप्लायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०७०१० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १६ (३) के अर्त्तर्गत गान्धित्र निरता करने दोग्य होगा।
 10. यह स्वाकृत पत्र केवल पौर्व वर्ष की अवधि के लिए है। यदि गुरुजांडो का उप—विकासन जार्थवा पाकं एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वासा किया जाता है तो इ०७०१० द्वासा नेयगानुसार ल०८० नगर नियोजन: एवं विकास उचितिवम् १९७३ को रुग्नान्तर वारान्तो के अन्तर्गत कावलाही ली वा योगी।

Continued






THE PLAN HAS BEEN PREPARED ACCORDING
TO ALLAHABAD MASTER PLAN 2021.
THE PLAN HAS BEEN PREPARED ACCORDING
TO ALLAHABAD MASTER PLAN 2021.
FRESHES RESIDENTIAL PLOT ON PLOT
NO. 116 MALVIYA NAGAR, ALLAHABAD
OWNER - Choudhary Javed Naib Shehzad
S/o Late Choudhary Naib Shehzad



Serial Detail of
Raia Water Harvesting

SECTION A-A

SECTION B-B
SIDE ELEVATION



PROPOSED 1ST FLOOR PLAN

LISTING GROUND FLOOR PLAN

